



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012026-269621
CG-DL-E-28012026-269621

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2026/माघ 8, 1947

No. 364]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2026/MAGHA 8, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

का.आ. 392(अ).— जबकि मेसर्स आवाडा इंकलीन प्राइवेट लिमिटेड, आवेदक ने जिसका पंजीकृत पता सी-11, सेक्टर-65, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन प्रणाली “गुजरात के कच्छ में प्रस्तावित सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए मेसर्स आवाडा इंकलीन प्राइवेट लिमिटेड को 50 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु एक समर्पित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने फ़ाइल सं. 25-17/48/2025-PG दिनांकित 13.05.2025 के अंतर्गत गुजरात के कच्छ में प्रस्तावित सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए मेसर्स आवाडा इंकलीन प्राइवेट लिमिटेड को 50 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु एक समर्पित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स आवाडा इंकलीन प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी), यंग लीडर (हिंदी) और संदेश (गुजराती) दिनांक 08.08.2025 तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 20.09.2025 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स आवाडा इंकलीन प्राइवेट लिमिटेड ने 20.11.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत

किया है जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो महीने के भीतर कोई टिप्पणी/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किए गए टेलीग्राफ लाइन एवं खंभे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किए जाने हेतु, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन शामिल हैं :

- एआईपीएल सोलर प्रोजेक्ट (ग्राम माय, तालुका भचाऊ, जिला कच्छ, गुजरात में स्थित) – एआईपीएल सोलर पावर प्लांट पूलिंग स्टेशन (ग्राम रामपर, तालुका भचाऊ, जिला कच्छ, गुजरात में स्थित) 33 केवी डी/सी लाइन। (कुल लाइन लंबाई लगभग 11 किमी है)

उपरोक्त योजना के अंतर्गत कवर की गई ट्रांसमिशन लाइन गुजरात राज्य के निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, ऊपर, आसपास और बीच से गुजरेंगी।

क्रम सं.	गांवों के नाम	तहसील	ज़िला	राज्य
1	लखपत, रामपर, हलरा, विजपासर, माय	भचाऊ	कच्छ	गुजरात

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स आवाडा इनक्लीन प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- मेसर्स आवाडा इनक्लीन प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/3/2026-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER**ORDER**

New Delhi, the 27th January, 2026

S.O. 392(E).— Whereas Avaada Inclean Private Limited (AIPL) the applicant with its registered address at C-11, Sector-65, Gautam Buddha Nagar, Noida, UP-201301, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the Transmission Scheme “Installation of a dedicated overhead transmission line for providing connectivity of 50 MW to M/s Avaada Inclean Private Limited for its proposed Solar Power Plant at Kachchh, Gujarat”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its File No. 25-17/48/2025-PG, Dated 13.05.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Installation of a dedicated overhead transmission line for providing connectivity of 50 MW to M/s Avaada Inclean Private Limited for its proposed Solar Power Plant at Kachchh, Gujarat”.

- AIPL Solar Project (located in Village Maay, Taluka Bhachau, District Kachchh, Gujarat) to AIPL Solar Power Plant Pooling Station (located in Village Rampar, Taluka Bhachau, District Kachchh, Gujarat) — 33 kV Double Circuit (D/c) Transmission Line (The total line length is approximately 11 kilometres).

M/s Avaada Inclean Private Limited (AIPL) had published notice for transmission scheme in local newspapers, The Indian Express(English), Young Leader(Hindi), and Sandesh(Gujarati) dated 08.08.2025 and in Weekly Gazette of India dated 20.09.2025 for the public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Avaada Inclean Private Limited (AIPL) has submitted an affidavit dated 20.11.2025 declaring that no observations/representations were received within two months from the date of publication in the official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines for M/s Avaada Inclean Private Limited (AIPL) The following overhead transmission lines are covered under this scheme:

- AIPL Solar Project (located at Village Maay, Taluka Bhachau, District Kachchh, Gujarat) – AIPL Solar Power Plant Pooling Station (located in Village Rampar, Taluka Bhachau, District Kachchh, Gujarat) 33 kV D/c line. Total line length is 11 kms (approx.).

The above overhead transmission lines covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Gujarat state:

S. No.	Names of villages	Tehsil	District	State
1	Lakhpat, Rampar, Halra, Vijjasar, Mae (Maay)	Bhachau	Kachchh	Gujarat

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Avaada Inclean Private Limited (AIPL) for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- The approval is granted for 25 years.
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities, i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- M/s Avaada Inclean Private Limited (AIPL) shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court“”

[F. No. 25-16/3/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)